(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 194 नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) प्रचालनों से पत्तन प्रभारों का भुगतान स्वीकार करने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से उसके दरमान में संशोधन करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/12/2008–केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास ------- आवेदक

आदेश

(जुलाई, 2010 के 9वें दिन पारित)

यह मामला कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) प्रचालनों से पत्तन प्रभारों का भुगतान स्वीकार करने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से उसके दरमान के संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. केओपीटी के मौजूदा दरमान का खंड 3 (v) जोकि कंटेनरों के संबंध में पत्तन प्रभारों के भुगतान के लिए उपयोक्ता समूह विनिर्दिष्ट करता है जोकि निम्नवत् हैः–

> ''एफसीएल कंटेनर के मामले में, आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनरों के अलावा, ऑन–बोर्ड (उपस्कर के उपयोग के लिए भी, यदि कोई हो) सहित कंटेनर और कंटेनरबद्ध कार्गो से संबंधित प्रभार, तट प्रहस्तन और उसपर भंडारण प्रभार कार्गो के स्वामी अथवा उसके क्लियरिंग और परेषण एजेंट/हैंडलिंग एजेंट पर प्रभार्य होगा। तथापि, यदि कंटेनर एजेंट्स/एमएलओ कंटेनर की सुपुर्दगी व्यवस्थित करने के लिए आयातक/निर्यातक के अभाव में एफसीएल कंटेनरों को खाली करने के लिए आवेदन करता है तो पत्तन ऐसे प्रभार कंटेनर एजेंटों/मेन लाइन ऑपरेटरों (एमएलओ) से वसूल कर सकता है।
>
> एलसीएल कंटेनरों के मामले में, खाली कंटेनर और आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनर, ऑन–बोर्ड (उपस्कर के उपयोग के लिए भी, यदि कोई हो) सहित कंटेनर और कंटेनरबद्ध कार्गो से संबंधित प्रभार, तट प्रहस्तन और उसपर भंडारण प्रभार कंटेनर एजेंटों/एमएलओ पर प्रभार्य होंगे।
>
> तथापि, खाली करने के बाद अथवा भरण से पहले, कार्गो संबंधित प्रभार, यदि कोई हों, कार्गो के स्वामी अथवा उसके क्लियरिंग और परेषण एजेंट/हैंडलिंग एजेंट पर प्रभार्य होंगे।''

2.2. मै0 ए0एल0 लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (एएलएलपीएल) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) ने इस प्राधिकरण को अलग–अलग अभ्यावेदन किया है कि दरमान का खंड 3 (v) इसके ग्राहकों की ओर से प्रभार अदा करने के लिए सीएफएस प्रचालकों के लिए गुंजाइश उपलब्ध नहीं करवाता है। उन्होंने सीएफएस को शामिल किए जाने पर विचार करने का अनुरोध किया था क्योंकि उसके कानूनी स्वामियों से केओपीटी के दरमान के खंड 3 (v) में संशोधन करते हुए सीएफएस की ओर जाने वाले/आने वाले कंटेनरों के लिए पत्तन प्रभार वसूल किए जा सकते हैं।

2.3. एएलएलपीएल और सीडब्ल्यूसी के अभ्यावेदन की एक–एक प्रति केओपीटी को उसकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी। अनुस्मारक के पश्चात, केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 13 फरवरी 2008 द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए हैः–

(i). एएलएलपीएल और सीडब्ल्यूसी द्वारा उठाए गए मुद्दों की जाँच की गई है और सीएफएस प्रचालकों के रूप में पत्तन प्रभारों के भुगतान की अनुमति देने के लिए उनके अनुरोध पर विचार किया गया है।

(ii). एएलएलपीएल और सीडब्ल्यूसी को सीएफएस प्रचालकों के रूप में पत्तन प्रभारों के भुगतान के लिए केओपीटी के पास जमा खाता खोलने की अनुमति दी गई है।

(iii). केओपीटी ने निर्णय दिया है कि यही सुविधाएं सुगम वाणिज्यिक प्रचालन के लिए आईसीडी प्रचालकों को दी जानी चाहिएं।

(iv). प्राधिकरण से अनुरोध है कि इस मामले पर विचार किया जाए और केओपीटी के दरमान के खंड 3 (v) के यथा निम्नवत् पैरा–2 के संशोधन की व्यवस्था की जाएः–

> ''एलसीएल कंटेनरों के मामले में, खाली कंटेनर और आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनर, ऑन–बोर्ड (उपस्कर के उपयोग के लिए भी, यदि कोई हो) सहित कंटेनर और कंटेनरबद्ध कार्गो से संबंधित प्रभार, तट प्रहस्तन और उसपर भंडारण प्रभार कंटेनर एजेंटों/मेन लाइन ऑपरेटरों (एमएलओ) पर प्रभार्य होंगे। तथापि, आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनर के मामले में, संबद्ध सीएफएस/आईसीडी प्रचालक भी पत्तन प्रभार अदा कर सकते हैं।''

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, केओपीटी द्वारा दाखिल किया गया मै0 एएलएलपीएल और सीडब्ल्यूसी को अग्रेषित किया गया था और संबद्ध उपयोक्ताओं को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था। मै0 एएलएलपीएल और सीडब्ल्यूसी तथा उपयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियां केओपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं।

4. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

5. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:–

(i). इस प्राधिकरण ने केओपीटी के मौजूदा दरमान को अनुमोदित करते हुए 29 दिसम्बर 2006 को एक आदेश पारित किया था। केओपीटी का मौजूदा दरमान विभिन्न उपयोक्ता समूह विनिर्दिष्ट करता है नामतः कार्गो का स्वामी अथवा उसका क्लियरिंग और परेषण एजेंट, कंटेनर एजेंट और मेन लाइन ऑपरेटर जो कंटेनरों के प्रहस्तन के संबंध में केओपीटी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन प्रभार अदा करने के लिए प्राधिकृत हैं। केओपीटी के दरमान का खंड 3 (v) जो इस पहलू को शासित करता है, साथ ही साथ, उपयोक्ता समूहों को उन कंटेनरों के संबंध में पत्तन प्रभारों के भुगतान के लिए कंटेनर एजेंटों और मेन लाइन ऑपरेटरों तक सीमित करता है जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और सीमाशुल्क अधिसूचित कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) अथवा आईसीडी तथा सीएफएस में विनिहित कंटेनरों से आते हैं। केओपीटी का प्रस्ताव पत्तन प्रभारों के भुगतान के लिए सीएफएस और आईसीडी प्रचालकों को कवर करने के लिए इस प्रावधान का दायरा बढ़ाने के लिए है।

(ii). उपयोक्ताओं ने केओपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन का एकमत से समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में, इस मामले में संयुक्त सुनवाई निर्धारित किए जाने की जरूरत प्रतीत नहीं होती है।

(iii). विचार करते हुए कि केओपीटी का प्रस्ताव केवल पत्तन प्रभारों के लिए निर्धारित मौजूदा व्यवस्था के दायरे को बढ़ाने के लिए है और इसे मद्देनज़र रखते हुए है कि किसी उपयोक्ता समूह ने प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति नहीं उठाई है, यह प्राधिकरण प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है।

(iv). यह स्वीकार करना होगा कि आयातक/निर्यातक को किसी एक अथवा अन्य रूप में पत्तन लागत वहन करनी होगी, मध्यस्थों के होने के बावजूद जो पत्तन को पहली बार में भुगतान करते रहेंगे। पहली बार में पत्तन प्रभार अदा करने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा दावाकृत की जाने वाली प्रतिपूर्ति पत्तन को उनके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक प्रभारों से से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे मध्यस्थों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए पत्तन को किए गए वास्तविक भुगतान का प्रकटन पारदर्शिता को प्रोत्साहित करेगा।

6. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, केओपीटी के दरमान के खंड 3 के अधीन उप–खंड (v) का मौजूदा दूसरा अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेद से बदला गया है:–

"एलसीएल कंटेनर के मामले में, खाली कंटेनर और आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनर, ऑन–बोर्ड (उपस्कर के उपयोग के लिए भी, यदि कोई हो) सहित कंटेनर और कंटेनरबद्ध कार्गो से संबंधित प्रभार, तट प्रहस्तन और उसपर भंडारण प्रभार कंटेनर एजेंटों/मेन लाइन ऑपरेटरों (एमएलओ) पर प्रभार्य होंगे। तथापि, आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनर के मामले में, संबद्ध सीएफएस/आईसीडी प्रचालक भी पत्तन प्रभार अदा कर सकता हैं।"

(रानी जाधव)
अध्यक्षा